2468
1-9-2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.14 (5) उद्योग/1/2012 पार्ट जयपुर, दिनांकः 29 AUG 2022

: अधिसूचना :

राज्य पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के प्रावधान संख्या 14(ब) अन्तर्गत एमनेस्टी स्कीम, 2021 की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 में अंकित बिन्दु संख्या 1 में योजना की अवधि में वित्त (कर) विभाग की आई. डी 102204041 दिनांक 08.08.2022 के अनुसरण में अभिवृद्वि करते हुये योज़ना की अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक बढाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(केसरलाल मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि०, उद्योग भवन जयपुर।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, उद्योग भवन, जयपुर।
9. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

JD (CAN)
31 AUG 2022
245
01/09/2022

Received today
1-9-2022

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.14(6)उद्योग/1/2012 पार्ट जयपुर, दिनांक 23 SEP 2021

: अधिसूचना :

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990
के प्रावधान सं. – 14 (ब) अन्तर्गत
एमनेस्टी स्कीम, 2021

प्रस्तावना :–

राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01.04.1990 को अधिसूचित राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 में पात्र औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी विनियोजन पर 15 प्रतिशत एवं श्रेणी अनुसार इससे अधिक अनुदान की सुविधा उपलब्ध थी।

योजनान्तर्गत लाभान्वित औद्योगिक इकाई को अनुदान वितरण तिथि से निरन्तर 05 वर्ष तक उत्पादनरत रहने का प्रावधान निहित था। योजना अवधि में लाभान्वित कुल 13413 औद्योगिक इकाईयों में से लगभग 565 इकाईयां निरन्तर 5 वर्ष उत्पादनरत रहने में असफल रही है। इनमें से कुछ इकाईयां वर्तमान में उत्पादनरत नहीं हैं, कुछ इकाईयां वित्तीय संकट के कारण रूग्णता के दौर से गुजर रही हैं। इसके अतिरिक्त विगत लम्बे समय से बडी संख्या में इकाईयों के अनुदान वसूली के प्रकरण विभिन्न राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में लम्बित हैं। कुछ मामलों में वसूली नहीं हो सकने के कारण संबंधित न्यायालयों द्वारा वसूली प्रकरण विभाग को पुनः लौटा दिये गये हैं।

अतः अनुदान वसूली के उपरोक्त मामलों में इकाईयों को राहत प्रदान करने हेतु **एमनेस्टी स्कीम, 2021** लागू की जा रही है, जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. योजना का नाम व अवधिः–

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 अंतर्गत इस योजना का नाम **"एमनेस्टी स्कीम, 2021"** है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से **31.03.2022** तक प्रभावी रहेगी।

2. परिभाषाएं :–

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के प्रावधान संख्या–4 में उल्लेखित परिभाषाऐं योजना में लागू होगी।

3. परिलाभ :–

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के प्रावधान संख्या–14 में उल्लेखित शर्तो की पालना में असफल रही इकाईयों से वसूलनीय मूल अनुदान राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं/अथवा वसूलनीय सम्पूर्ण ब्याज राशि को माफ किया जायेगा।

23

4. पात्रता :–

योजनान्तर्गत वे इकाईयां पात्र होगी जो –

जो इकाई राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत वसूलनीय मूल अनुदान राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत, संबंधित वितरण एजेन्सी को दिनांक 31.03.2022 तक जमा करा देती है।

अथवा

यदि इकाई द्वारा पूर्व में ही वसूलनीय मूल अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिक/सम्पूर्ण मूल अनुदान राशि, संबंधित वितरण एजेन्सी को जमा करा दी गई है।

5. प्रक्रिया :–

योजना के प्रावधान संख्या–3 में उल्लेखित इकाई द्वारा राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत वसूलनीय मूल अनुदान की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात संबंधित वितरण एजेन्सी को निर्धारित प्रारूप में मय साक्ष्य/दस्तावेज आवेदन किया जायेगा। यदि इकाई द्वारा पूर्व में ही वसूलनीय सम्पूर्ण मूल अनुदान राशि अथवा मूल अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिक जमा करा दिया गया है तो आवेदन पत्र के साथ संबंधित साक्ष्य/दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे।

संबंधित वितरण एजेन्सी द्वारा संधारित रिकॉर्ड अनुसार इकाई के आवेदन पत्र एवं संलग्न साक्ष्य/दस्तावेजों की जांच कर पात्र पाये जाने पर इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि को माफ करने हेतु आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को अभिशंषा की जाएगी।

अनुदान वितरण एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताव एवं पात्रता की जांच उपरान्त आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा संबंधित इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान एवं प्रभारित सम्पूर्ण ब्याज राशि को माफ करने **का आदेश जारी किया जायेगा।**

6. योजना का क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक विभागः–

योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा किया जायेगा तथा योजना का प्रशासनिक विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग होगा।

7. योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन की शक्तियाँः–

योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन, आदि हेतु प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार सक्षम होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(लोकेश कुमार मीना)
शासन उप सचिव

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 अन्तर्गत एमनेस्टी स्कीम, 2021 के तहत
आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र,.....
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, ...
मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (वित्त), रीको लि., जयपुर।

1.	इकाई का नाम एवं पता	
2.	इकाई का उत्पाद एवं उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि	
3.	इकाई द्वारा निवेश की गई राशि	
4.	अनुदान भुगतान की राशि एवं तिथि (यदि किश्तों में हो तो किश्तवार विवरण)	
5.	वर्तमान में इकाई उत्पादनरत है अथवा नहीं, यदि इकाई उत्पादनरत नहीं है तो कब से, बन्द होने की तिथि व माह	
6.	इकाई के बन्द होनें के कारण	
7.	इकाई के उत्पादनरत रहनें की अवधि	वर्ष ..... माह .....
8.	इकाई से वसूलनीय मूल अनुदान एवं आदिनांक .... तक की ब्याज राशि	मूल अनुदान ..... ब्याज..... कुल राशि.....
9.	वसूलनीय मूल अनुदान के विरूद्ध इकाई द्वारा जमा कराई गई राशि एवं प्रतिशत (मूल अनुदान का)	मूल अनुदान की जमा राशि..... मूल अनुदान का प्रतिशत..... (दस्तावेज संलग्न करें)
10.	वर्तमान में वसूली हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नहीं यदि विचाराधीन है तो उसका पूर्ण विवरण	

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री..... प्रोपराईटर / पार्टनर / निदेशक / अधिकृत प्रतिनिधि (इकाई का नाम)..... यह सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा एमनेस्टी स्कीम, 2021 के समस्त प्रावधानों का भली–भॉति अवलोकन कर लिया गया है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा अंकित समस्त तथ्य एवं जानकारी पूर्णतः सही एवं सत्य है। आवेदन पत्र में अंकित समस्त वर्णित तथ्य एवं जानकारी गलत / असत्य पाये जाने पर मैं पूर्णतया जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

हस्ताक्षर

प्रोपराईटर / पार्टनर / निदेशक / अधिकृत प्रतिनिधि
(इकाई का नाम मय मोहर)

25

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान वितरण एजेन्सी
(जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र/राजस्थान वित्त निगम/रीको) की अभिशंषा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... इकाई का नाम..... द्वारा एमनेस्टी स्कीम, 2021 के आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं जानकारी कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।

इकाई द्वारा वसूलनीय मूल अनुदान राशि के विरूद्ध.....राशि राजकोष में जमा करा दी है, जो वसूलनीय मूल अनुदान का 50 प्रतिशत अथवा अधिक है। (दस्तावेज संलग्न)

इकाई द्वारा जमा कराई गयी राशि की पुष्टि उपरान्त एमनेस्टी स्कीम, 2021 के प्रावधान संख्या 3 के अन्तर्गत इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान राशि ..... रूपये एवं/अथवा सम्पूर्ण ब्याज राशि .....रूपये माफ करने की अभिशंषा की जाती है।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र
अथवा
प्रबन्ध निदेशक, रीको/राज. वित्त निगम द्वारा
अधिकृत सक्षम अधिकारी
(नाम एवं पदनाम मय मोहर)

उद्योग एवं निवेश (मुख्य-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, जयपुर

दिनांक

क्रमांकः

: आदेश :

मैसर्स ....(मय इकाई का पता) को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान, 1990 के अन्तर्गत उद्योग विभाग/राजस्थान वित्त निगम/रीको लि. द्वारा दिनांक.................... को राशि रू................................. का पूंजी विनियोजन अनुदान वितरित किया गया था।

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान, 1990 के प्रावधान 14 में उल्लेखित शर्तों की पालना में असफल/दोषी होने पर मैसर्स .... से मूल अनुदान राशि .... रूपये एवं /अथवा ब्याज राशि .... रूपये वसूलनीय है।

मैसर्स.. द्वारा वसूलनीय मूल अनुदान राशि के विरूद्ध .... रूपये एकमुश्त/एकाधिक बार राजकोष में जमा करा दिये गये हैं, जो वसूलनीय मूल अनुदान राशि का 50% अथवा अधिक है।

अतः **एमनेस्टी स्कीम, 2021** के अन्तर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र/राजस्थान वित्त निगम/रीको लि. द्वारा मैसर्स...की पात्रता की जॉच एवं अभिशंषा के आधार पर इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान राशि .... रूपये एवं प्रभारित सम्पूर्ण ब्याज राशि ....रूपये एतदद्वारा माफ की जाती है।

आयुक्त,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

संयुक्त शासन उप सचिव
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर